**भारत सरकार**
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
**लोक सभा**
तारांकित प्रश्न संख्या: 417
उत्तर देने की तारीख: 23.03.2020

## केन्द्रीय विद्यालय के लिए निधि

***417. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में बुनियादी ढांचा के विकास हेतु नियत निधि के समुचित उपयोग पर नियंत्रण के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निधि के उपयोग में विफल रहे प्रधानाचार्यों/स्कूलों पर कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकतर केन्द्रीय विद्यालयों में बालिकाओं के शौचालय अच्छी दशा में नहीं हैं और इनमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

**उत्तर**
**मानव संसाधन विकास मंत्री**
**(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')**

(क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

**'केन्द्रीय विद्यालय के लिए निधि' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 417 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के सभी निर्माण कार्य सरकारी निर्माण एजेंसियों जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), मिलिट्री इंजीनियर सेवाएं (एमईएस), रेलवे, राज्य लोक निर्माण विभागों (पीडब्ल्यूडी), केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से अवधारणा से चालू होने तक 'जमा कार्य' आधार पर निष्पादित किये जाते हैं। केविसं मानकों और निर्माण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आकलन के अनुसार अनुमोदित प्रारंभिक नक्शों के आधार पर केविसं द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एएएंडईएस) जारी की जाती है। निधियां कार्य की प्रगति के आधार पर किस्तों में जारी की जाती है, जिसके लिए निर्माण एजेंसियों द्वारा संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत् प्रमाणित फोटोग्राफों के साथ निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि अब तक ऐसी किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सभी केन्द्रीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अच्छी दशा में अलग शौचालय सुविधा उपलब्ध है।

*****